प्रपत्र–21

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल द्वारा तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर के हल्द्वानी राजि के अन्तर्गत हल्दूचौड़ डी–क्लास वन ब्लाक में उक्त निर्माण कार्य से हम ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त क्षेत्र में दुम्का/बंगरबच्चीधर्मा ग्राम सभा के अन्तर्गत कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड–नैनीताल.

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ....
विकास खण्ड हल्द्वानी

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम–दुम्का बांगर बची धर्मा

तहसील– हल्द्वानी, जिला– नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण–प्रत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अर्न्तगत लालकुंआ के हल्दूचौड़ में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु (**0.063 है0** आरक्षित वन भूमि, **शून्य है0** सिविल एंव सोयम वन भूमि, **शून्य है0** वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.063 है0** वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुम्का बांगर बची धर्मा द्वारा दिनांक 14-12-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वरहैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एंव सही है।

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हल्द्वानी

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

दिनांक 14-12-2021 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।**

ग्राम पंचायत :– दुम्का बंगर बच्चीधर्मा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नवीन S/o रामदत्त	Nav
2	मनोज मडपाल S/o गिरीश मडपाल	Manoj
3	जगदीश पन्त S/o चिन्तामणि	Jagdish
4	यमुना यादव S/o प्रहलाद यादव	Yamuna
5	जगदीश पन्त	जगदीश
6	विमला पन्त W/o जगदीश पन्त	विमला पन्त
7	चन्दन भारती S/o हरीश भारती	चन्दन

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बच्चीधर्मा
विकास खण्ड हल्द्वानी

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.063 है0 वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–हल्द्वानी) की दिनांक (16-12-2021. को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः–

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक (16-12-2021)..... उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है–

1– श्री मनीष कुमार..... उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, अध्यक्ष।
2– श्री पती प्रकाश देव .... उप प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी, सदस्य।
3– श्री राहुल आर्या, सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल)
4– श्री

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त कियाशाला एवं बाउण्ड्रीवाल हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्वित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी........... द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, ... परिक्षेत्र के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सुरेश भारती
क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्राम पंचायत –खनवाल कटान
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

कमला आर्या
श्रीमती कमला आर्या
क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत- 13- जयपुर पाडली
वि0ख0 हल्द्वानी जिला- नैनीताल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
नैनीताल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मनोज सिंह रावत
रा0 उ0 नि0 क्षेत्र...लालकुँआ...
तहसील लालकुँआ
(नैनीताल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी
नैनीताल।

तहसीलदार
लालकुँआ (नैनीताल)

दीपक आर्या
क्षेत्र पंचायत सदस्य
लाखनमण्डी, चोरगलिया
वि0ख0- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

मनोज सिंह रावत
रा0 उ0 नि0 क्षेत्र...लालकुँआ....
तहसील लालकुआँ
(नैनीताल)

16/12/21
उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

13/12/21
तहसीलदार
लालकुआँ (नैनीताल)

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

जिला स्तरीय समिति।

जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.063 है0 वन भूमि**) का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिला स्तरीय समिति (तहसील–हल्द्वानी, जिला नैनीताल) की दिनांक 25-05-22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी, नैनीताल एंव अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी–नैनीताल, अध्यक्ष।

2– श्री चन्द्र शेखर जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय सदस्य

3– श्री दीपांकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य

4– श्रीमती कमला आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी परिक्षेत्र के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी, नैनीताल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी, नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

परियोजना का नामः—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

Annexure-II

Form-II

(For projects other then linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector of Nanital (U.K)

No…………………….. **Date.**28-04-2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complacence of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 0.063 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल falls within jurisdiction of Haldwani tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.063 hectares forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam (s), Sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3.

(b) The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificated issued by the Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have giving their consent to it;

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

परियोजना का नामः—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

Office of the deputy commissioner
District –Nanital (U.K)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Nanital district constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship of Mr Dheeraj Singh Garbyal, IAS Deputy commissioner Nanital on dated 20-04-2022 at time 2:00 P.M. at Nanital in which application calming right in **0.063 hectares** for मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Sub division level committee of ……………….. Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date. 20-04-2022

Place. Nainital

Deputy Commissioner cum chairman
District level committee
जिलाधिकारी
नैनीताल